.–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 144/2019

उनवान

1. नौरती पत्नी चांद,
2. खैरून,
3. मुमताज,
4. रहमती, पुत्री चांद,
5. हुसैन,
6. सत्तार पि. चांद जाति तेली, नि0 कानपुरा, नसीराबाद (सीताराम रावत)

–– वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. इस्लाम पुत्र शौकीन,
2. जवरी पत्नी शौकीन,
3. रफीक,
4. सुल्तान,
5. सुलेमान पि0 शौकीन,
6. हुसैनी पत्नी सत्तार, जाति मुसलमान नि0 कानपुरा, नसीराबाद,
7. जुम्मा पुत्र गफूर जाति मुसलमान नि0 कानपुरा हाल नि0 चमडाघर के पास चौधरी कॉलोनी वार्ड न0 6 किशनगढ, अजमेर,
8. उप पंजीयक, नसीराबाद,
9. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

–– प्रतिवादीगण :– 1 से 7 अनुपस्थित

10. अमीर,
11. कमरू पि0 पीरू जाति मुसलमान नि0 कानपुरा, नसीराबाद

––– प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :– 10 से 11 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 10.1.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानपुरा मे स्थित निम्न आराजी वादीगण की कयशुदा खातेदारी काश्त ... है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:16:22 IST
Reason: SelfAttested

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

चौसाला ख न	रकबा	वर्किंग ख न	रकबा	हाल ख न	रकबा
2670	1–7–0	2909	1–7–0	4525	0.22

उपरोक्त आराजी चांद पुत्र नबीबक्ष द्वारा तत्कालीन खातेदार छीतर व पीरू से दिनांक 15.01.1957 को 800/ रूपये मे क्रय की थी। विक्रेता छीतर व पीरू की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 10 व 11 है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम हाल राजस्व अभिलेख मे भूमि अंकन होने के कारण उन्हे पक्षकार मुर्तिब किया गया है। क्रेता चांद की भी मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण है। वादीगण का कब्जा क्रय दिनाक से आराजी मुतनाजा पर चला आ रहा है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा क्रेता व उसकी मृत्यु के बाद विरासत से वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज कर दी गयी। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अत आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 व 10, 11 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे। प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये। व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र अनुसार छीतर व पीरू पि. धूकल ने जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 15.01.1957 को चौसाला खसरा नम्बर 2670 रकबा 1–7–0 व अन्य खसरा नम्बर चांद पुत्र नबीबक्ष को विक्रय किये थे। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2021 से 2024 व 2031 से 2034 में खैसाला खसरा नम्बर 2670 क्रेता के नाम दर्ज है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 4525 रकबा 0.22 प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है।वादीगण के पति/पिता ने आराजी मुतनाजा जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र क्रय की है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। उक्त विक्रय पत्र को किसी न्यायालय में चुनौती दिये जाने का प्रमाण पत्रावली पर नही है। धारा धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार विक्रेता के खातेदारी अधिकार का अवसान हो चुका है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा क्रेता/वादीगण के नाम दर्ज नही कर प्रतिवादीगण के नाम त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज कर दी गयी है। जबकि हाल राजस्व अभिलेख मे आराजी मुतनाजा का इन्द्राज विक्रय पत्र में अंकित क्रेताग/वारिसान के नाम अंकित करना चाहिये था। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण वाद पत्र में अंकित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम कानुपरा के हाल खसरा नम्बर 4525 रकबा 0.22 की आराजी पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता है। त[illegible]सीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की का[illegible]।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:16:22 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

नौरती बनाम इस्माईल

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955, 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 144/2019
पेश करने की दिनांक – 05.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम कानुपरा के हाल खसरा नम्बर 4525 रकबा 0.22 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— —— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 1 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई		मुदायला	
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	/	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	/
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:16:22 IST
Reason: SelfAttested